

M37P/DY.No-54

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION


New Delhi, dated the 2nd June, 2016

S.O. _____ (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Uttar Pradesh State AIDS Control Society, a body constituted by the Government of Uttar Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-

“Grant received from National Aids Control Organisation, Government of India and interest received on deposits with Banks.”

2. This notification shall be deemed to have been applied for the period from 1st June, 2011 to 31st March, 2013 and the financial years 2013-2014, 2014-2015 and 2015-2016.
3. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-
 - (a) the Uttar Pradesh State AIDS Control Society does not engage in any commercial activity;
 - (b) the activities and the nature of the specified income of the Uttar Pradesh State AIDS Control Society remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) the Uttar Pradesh State AIDS Control Society files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
4. The grants received by the said Society shall be received and applied in accordance with the prevailing rules and regulations.

[Notification No. 41 /2016, F.No.196/87/2012-ITA.I]


(Deepshikha Sharma)
Director, Government of India

To,
The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

PS
29
7/2/16

[भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक ५ जून, 2016.

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य ऐड्स नियंत्रण सोसाइटी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को, उक्त सोसाइटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) राष्ट्रीय ऐड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि और बैंकों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज ;

2. इस अधिसूचना को 1.6.2011 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए लागू किया गया माना जाएगा और यह वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए भी लागू होगी।

3. वह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; अर्थात्:-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य ऐड्स नियंत्रण सोसाइटी कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करती है;

(ख) उत्तर प्रदेश ऐड्स सोसाइटी के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश ऐड्स सोसाइटी अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।

4. उक्त सोसाइटी को प्राप्त होने वाली अनुदानों की राशि को मौजूदा प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा और उपयोग में लाया जाएगा।

[अधिसूचना संख्या...५/.../2016, फा.सं. 196 / 87 / 2012-आयकर नि-।]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।



भारत सरकार / Govt. of India
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, उ.प.क्षेत्र,
आयकर भवन, सैक्टर-17-ई, चण्डीगढ़ -160 017
O/o The Principal Chief Commissioner of Income Tax(NWR),
Aayakar Bhawan, Sector 17 E, Chandigarh

फा.सं./प्र.मु.आ.आ./चण्डी/सां. -47/2015-16/1107

दिनांक: 31.05.2016

सेवा में,

236/6
01/06
CIT (M & TP)

आयकर आयुक्त (M&TP),
कमरा नं० 151, नॉर्थ ब्लॉक,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
नई दिल्ली।

विषय : Reporting of assessment details in survey cases Q.E. 31.03.2016
- भेजने हेतु -

महोदया,

कृप्या उपरोक्त विषय का अवलोकन करें।

इस संबंध में, मुझे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उ.प.क्षेत्र, चण्डीगढ़ प्रभार की सर्वे
केसों के 01.01.2016 से 31.03.2016 की तिमाही के दौरान हुए निर्धारण की रिपोर्ट आवश्यक
कार्यवाई हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(विनोद कुमार शर्मा)
आयकर अधिकारी, (मु.) (तक.)
चण्डीगढ़।

PS
wrongly sent. Pl. forward to CIT (Inv).
7/8/16